प्र.सं. 22/17 अम्बालाल व अन्य बनाम श्रीमती राधीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढीकली में आराजी नंबर 2201, 2203, 2206, 2208, 2209, 2217 कुल किता 6 रकबा 0.7350 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1305, 1308, 1222, 1223, 1227, 1228, 1229 कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूश मोती जी थे, जिनके 4 पुत्र गुमाना, हीरा, भीमा व खेमा हुए। गुमाना का पुत्र कुका एवं कुका के वारिस प्रार्थीगण हैं, जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 हीरा के वारिस हैं। गुमाना, हीरा, भीमा व खेमा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की भाामलाती रूप से मौके पर आधिपत्य प्राप्त किया एवं सहूलियत अनुसार का त करने लगे, किन्तु भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। भीमा व खेमा लाऔलाद फोत होने से उनके हिस्से की भूमि गुमाना व हीरा के आ गयी एवं सहूलियत अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण आधे–आधे हिस्से पर का त करने लगे, किन्तु हीरा ने राजस्व कर्मियों से सांठ–गांठ कर गलत विभाजन करवा दिया है, जो आरम्भ से भाून्य है। पैमाई ा के दौरान कूकाजी के हिस्से में आराजी नंबर 2201, 2203 व 2206 कुल रकबा 0.2550 हैक्टर दर्ज हुआ, जबकि हीरा के खाते में आराजी नंबर 2208, 2209 व 2217 रकबा 0.4800 हैक्टर दर्ज हुआ, जबकि कूका के खाते में 0.3675 हैक्टर एवं हीरा के खाते में 0.3675 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिए। इस प्रकार विपक्षीगण के खाते में रकबा 0.1125 हैक्टर अधिक दर्ज हुआ है। अतः आराजी नंबर 2208, 2209 व 2217 को रहन, बेह, बक्षीस आदि नहीं करने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 05.07.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 उनकी ओर से अधिवक्ता श्री रामल[illegible] हुए, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री [illegible] चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:40 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 22/17 अम्बालाल व अन्य बनाम श्रीमती राधीबाई व अन्य

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में यह अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि ''मूलवाद भी विचाराधीन है, उक्त वाद व प्रार्थना पत्र को दर्ज हुए 3 वर्श से अधिक हुए और वादग्रस्त भूमि बाबत अन्य कोई विवाद सामने नहीं आया है इसलिए मूलवाद के विचाराधीन होने से धारा 212 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 को दिनांक 29.06.2017 के लिए पे ाी नियत की गयी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 05,07,2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर यह अंकित करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि ''प्रकरण में मूलवाद विचाराधीन है। वाद एवं प्रार्थना पत्र को दर्ज हुए 3 वर्श से अधिक हुए हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। अतः मूलवाद के विचाराधीन होने से धारा 212 का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 364/2013 निर्णय दिनांक 05.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:40 IST
Reason: Certified

(एम. एल. चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर